न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

अपील/डिक्री/टी.ए./1648/2004/जैसलमेर

1– भैरा पुत्र देवाजी गुर्जर
2–भूरा पुत्र देवाजी जाति गुर्जर निवासी सोनियाणा तहसील व जिला राजसमन्द
————अपीलांटस

बनाम

1–भैरा पुत्र जगरुलाल
2– चतुर्भुज पुत्र लखमी जाति गुर्जर निवासी सोनियाणा तहसील व जिला राजसमन्द
– रैस्पोडेंटस

खण्डपीठ
श्री प्रवीण गुप्ता,सदस्य
श्री मनोज कुमार नाग,सदस्य

उपस्थितः–
श्री अशोक अग्रवाल अधिवक्ता अपीलांटस
श्री सम्पत लाल बोहरा अधिवक्ता रैस्पोडेंटस

निर्णय **दिनांकः12–12–2019**

यह द्वितीय अपील अन्तर्गत धारा 224 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 राजस्व अपील प्राधिकारी, एवं पदेन भू प्रबन्ध अधिकारी ,उदयपुर द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 30–12–2003 के विरुद्व प्रस्तुत की गयी है।

2– अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ परीक्षण न्यायालय के समक्ष हाल रेस्पोडेंट/अपीलांट की ओर से एक वाद खातेदारी घोषणा व इन्द्राज हदरस्ती का पेश किया। अधीनस्थ परीक्षण न्यायालय ने दावा दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। इसके उपरांत दोनो पक्षों की सुनवाई कर, प्रकरण में तनकीयात कायम करते हुए अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 2–8–2000 के द्वारा दावा /वादी साक्ष्यों से साबित नही होने के आधार पर खारिज कर दिया जिसके विरुद्ध प्रथम अपील न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, एवं पदेन भू प्रबन्ध अधिकारी ,उदयपुर के समक्ष प्रस्तुत की जिसे उनके द्वारा अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 30–12–2003 से अपील स्वीकार कर दावा वादी डिक्री कर किया गया। राजस्व अपील प्राधिकारी, एवं पदेन भू प्रबन्ध अधिकारी ,उदयपुर द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 30–12–2003 के विरुद्ध यह द्वितीय अपील इस न्यायालय में पेश की गयी है।

3– दोनो पक्षों के विद्वान अधिवक्तागण की बहस अपील पर सुनी गयी।

4— विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों / तर्को को दोहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने जो निर्णय पारित किया है वह तथ्यों, साक्ष्यों और रिकार्ड के विपरीत होने से निरस्तनीय है। अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने यह समझने में गलती की है कि पुराने खसरा नंबर 126 जो अपीलांट से सम्बन्धित है उसका रकबा 1 बीघा 5 बिस्वा नही होकर 2 बीघा 15 बिस्वा है जो नये खसरा नम्बर 205, 206 व 207 से बना है जिसका कुल रकबा 2 बीघा 13 बिस्वा है । इसलिए यह सम्भव नही है कि प्रत्यर्थी के खसरा नम्बर 206में 1 बीघा 10बिस्वा भूमि में शामिल किया गया हो। इस सम्बन्ध में यह आवश्यक था कि अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय य कोराजस्व अधिकारियों के माध्यम से मौका रिपोर्ट मंगवानी चाहिए थी लेकिन उन्होने प्रकरण में प्रस्तुत शहादत के आधार पर ही निर्णय पारित कर दिया जो गलत है। वादीगण ने राज्य सरकार को धारा 80 सीपसी का नोटिस नही दिया जो कि दावा प्रस्तुत करने के पूर्व देना आवश्यक था। इसलिए वादीगण का दावा चलने योग्य नही था। उन्होने अपनी बहस में यह भी निवेदन किया कि वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद 30वर्ष के बाद प्रस्तुत किया गया जो काल बाधित था। उनका यह भी तर्क हैकि हम विवादित आराजी पर निर्विवाद रुप से कब्जे में होकर काश्त कर रहे है। किसी भी प्रबन्ध विभाग की कार्यवाही के बाद मजमाआम में पर्चा जारी किया जाता है और इसमें वादीगण को विरोध प्रकट करना चाहिए था जो नही किया गया है। अन्त में निवेदन किया कि धारा 224 आरटीएक्ट 1955 के क्लोज (4) के सबक्लौज (2) के अनुसार माननीय न्यायालय अपीलाधीन निर्णय में दखल देकर अपीलाधीन निर्णय को निरस्त करते हुए पुनः साक्ष्य सबूत लेकर रिकार्ड के आधार पर निर्णय पारित करने के लिए परीक्षण न्यायालय को पुनः निर्णय हेतु भेज सकता है। अन्त में अपील स्वीकार कर अपीलाधीन निर्णय को निरस्त करने का निवेदन किया गया।

5— इसके विपरीत अभिभाषक रैस्पोडेंट ने अभिभाषक अपीलांट की ओर से प्रस्तुत बहस का खण्डन करते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ परीक्षण न्यायालय द्वारा निर्णय व डिक्री पारित की थी वह पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के विपरीत थी जिसके विरुद्ध विद्वान प्रथम अपीलीय न्यायालय के समक्ष अपील प्रस्तुत होने पर विद्वान अपीलीय न्यायालय ने जो तनकीवार व विस्तृत विवेचन करते हुए निर्णय व डिक्री पारित की है, तथ्यों व पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर पारित की है, जिसमें किसी प्रकार की कानूनी त्रुटि नही है। विद्वान प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री में हस्तगत अपील के माध्यम से किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नही है। अन्त में अपील खारिज करने का निवेदन किया गया।

6— हमने उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की ओर से की गयी बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड का तथा प्रदर्शित दस्तावेजों का अवलोकन किया गया।

7— पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि न्यायालय सहायक कलक्टर (एसडीओ) राजसमन्द के समक्ष वादी भेरा पिता जगरुप आदि ने श्री भेरा पिता देवा गुर्जर प्रतिवादीगण के विरुद्ध एक दावा सख्या 86 / 98 वाद घोषणा एवं इन्द्राज दुरस्ती का प्रस्तुत किया गया था जिसमें अधीनस्थ परीक्षण न्यायालय ने दोनो पक्षों को सुनकर

प्रकरण में कुल 9 तनकी कायम कर वादी का वाद साक्ष्यों से प्रमाणित नही होने के आधार पर खारिज करदिया, जिसकी प्रथम अपील संख्या 128/2002 अपीलांट/वादीगण भैरा पिता जगरुलाल आदि ने प्रतिवादीगण भैरा पिता देवा गुर्जर के विरुद्ध न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, उदयपुर के समक्ष प्रस्तत की। विद्वान प्रथम अपीलीय न्यायालय ने दोनो पक्षों को सुन कर तनकी वार विस्तृत विवेचन कर अपील को स्वीकार करते हुए हाल खसरा नम्बर 206 से 1 बीघा 10 बिस्वा भूमि प्रतिवादी के खाते से कम की जाकर उक्त भूमि वादी अपीलांट के खाते में दर्ज करने के आदेश प्रदान किये गये है।

8— विद्वान परीक्षण न्यायालय ने दावे में कुल 9 तनकी कायम की गयी है, जो निम्न प्रकार से हैः—

तनकी नम्बर 1— ''आया ग्राम सोनियाणा तहसील राजसमन्द स्थित भूमि गत खसरा नंबर 196/1 रकबा 3 बीघा 15 बिस्वा एवं खसरा नम्बर 197/1 रकबा 6 बीघा 4 बिस्वा पर वादी संख्या एक के पिता तथा प्रतिवादी नंबर 2 की खातेदारी एवं कब्जा रहा है।''

——वादीगण

तनकी नम्बर 2— ''आया गत खसरा नंबर 196/1 एवं 197/2 के हाल खसरा नंबर एवं रकबा 269/ रकबा 5 बीघा 8 बिस्वा, 270 रकबा 3 बीघा 16 बिस्वा एवं 271 रकबा 2 बीघा 15 बिस्वा है।'' ————वादीगण

तनकी नम्बर 3—''आया विवादित गत खसरा नंबर 196/2 एवं 197/1 का नया रकबा 13 बीघा 10 बिस्वा दर्ज होना चाहिए था जो जरीब छोटी होने से 1 बीघा 10बिस्वा कम दर्ज कर दिया गया।'—————————वादीगण

तनकी नम्बर 4—''आया उक्त कम किया गया 1 बीघा 10बिस्वा रकबा प्रतिवादीगणकी भूमि खसरा नंबर 206 रकबा 2 बीघा 6 बिस्वा में अंकित कर मिला दिया गया है।''

——वादीगण

तनकी नम्बर 5—''आया प्रतिवादी की गित खसरा नंबर 126 रकबा 1 बीघा 5 बिस्वा भूमि के नये खसरा नंबर 206 रकबा 2 बीघा 6 बिस्वा व 207 रकबा 7 बिस्वा अंकित कर उन्हे अधिक रकबे की खातेदारी दे दी गयी है।'' ————— वादीगण

तनकी नम्बर 6—''आया प्रतिवादीगण की वर्तमान में कितने रकबे पर मौके पर कब्जा है।''

—— वादीगण

तनकी नम्बर 7—''आया प्रतिवादीगण का वर्तमान में कितने रकबे पर मौके पर कब्जा है।''

—— प्रतिवादीगण

तनकी नम्बर 8—''आया वादीगण 1 बीघा 10 बिस्वा भूमि पर से प्रतिवादीगण के स्थान पर खातेदारी घोषणा के अधिकारी है।''——वादीगण

तनकी नम्बर 9— ''अनुतोष

उक्त तनकियों का का विवेचन दोनो अधीनस्थ न्यायालयेा नेनिम्न प्रकार से पारित किया गया है।

तनकी नम्बर 1— ''आया ग्राम सोनियाणा तहसील राजसमन्द स्थित भूमि गत खसरा नंबर 196/1 रकबा 3 बीघा 15 बिस्वा एवं खसरा नम्बर 197/1 रकबा 6 बीघा 4 बिस्वा पर वादी संख्या एक के पिता तथा प्रतिवादी नंबर 2 की खातेदारी एवं कब्जा रहा है।''

——वादीगण

9— उक्त तनकी नम्बर एक को सिद्ध करने का भार वादीगण पर था। प्रस्तुत जमाबान्दी सं0 2025 से 28 एवं भू प्रबन्ध का पर्चा एग्जीविट डी01 के अनुसार खसरा नम्बर 207 साबिक खसरा नम्बर 196 / 1 व197 / 1 गत रिकार्ड में जगरु की खातेदारी में अंकित करते हुए वादी अपीलांट के पक्ष में निणित की गयी है , जिसका समर्थन विद्वान अपीलीय न्यायालय ने भी किया तथा हम भी इसका समर्थन करते है।

तनकी नम्बर 2— ''आया गत खसरा नंबर 196 / 1 एवं 197 / 2 के हाल खसरा नंबर एवं रकबा 269 / रकबा 5 बीघा 8 बिस्वा, 270 रकबा 3 बीघा 16 बिस्वा एवं 271 रकबा 2 बीघा 15 बिस्वा है।'' ————वादीगण

10— तनकी नम्बर दो में साबिक खसरा नम्बर 196 / 1 व 197 / 1 से हाल खसरा नम्बर 269, 270 बनना जाहिर होता है। हाल खसरा नम्बर 271 साबिक खसरा नम्ब्र 197 से बनना जाहिर होता है। इस अनुरुप उक्त तनकी वादी के पक्ष में निर्णित की गयी है तथा विद्वान प्रथम अपीलीय न्यायालय ने भी इसका समर्थन किया है तथा यह न्यायालय भी उक्त तनकी से सहमत है।

तनकी नम्बर 3—''आया विवादित गत खसरा नंबर 196 / 2 एवं 197 / 1 का नया रकबा 13 बीघा 10 बिस्वा दर्ज होना चाहिए था जो जरीब छोटी होने से 1 बीघा 10 बिस्वा कम दर्ज कर दिया गया।''————————वादीगण

11— अधीनस्थ परीक्षण न्यायालय ने यह मानते हुए कि वादीद्वारा कोई दस्तावेजी साक्ष्या या तनकनीकी जानकारी रखने वाले गवाह के बयान नही करवाये गये है व दोनो नक्शा गत व हाल का तुलनात्मक विवरण पेश नही किया गया है। यह मानते हुए उक्त तनकी वादी के विरुद्ध निर्णित की है लेकिन विद्वान अपीलीय न्यायालय ने अपने निर्णय में विस्तृत विवेचन करते हुए अंकित किया है कि राजस्व तहसील में सैटलमेंट में पूर्व बीघे का नाम 152 फीट की जरीब के आधार पर था जबकि गत सैटलमेंट में जो नाप की गयी है वह वह 132 फीट लम्बी जरीब से की गयी है। पूर्व में 152 गुणा 152 फीट को एक बीघा कहा जाता था, जबकि गत भू प्रबन्ध के दौराने 132 गुणा 132 फीट को एक बीघा माना जाता है और उन्होने गणित की गणना से यह स्पष्ट अंकन किया कि साबिक खसरा नम्बर 196 / 1,197 / 1 जिसका कुल रकबा 10बीघा 4 बिस्वा होता है ,वह नई जरीब के अुनसार 13 बीघा 10 बिस्वा बनता है। लेकिन इसके विपरीत नई जमाबन्दी में इन दोनो साबिक खसरा नम्बरों के जो नये नम्बर बने है वे खसरा नम्बर 260,270 व 271 कुल किता 3 का रकबा 12 बीघा ही बनना पाया गया है जो कि मिलान क्षेत्रफल से भी स्पष्ट है। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत साबिक व हाल जमाबन्दी के अवलोकन से यह भी स्पष्ट होता है कि उसके खाते में 1 बीघा 10बिस्वा भूमि कम दर्ज हुई है। अतः विद्वान प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा यह तनकी वादी के पक्ष में निर्णित की गयी है जिससे यह न्यायालय भी विद्वान प्रथम अपीलीय न्यायालय के उक्त विवेचन से पूर्ण रुप से सहमत है।

तनकी नम्बर 4—''आया उक्त कम किया गया 1 बीघा 10 बिस्वा रकबा प्रतिवादीगण की भूमि खसरा नंबर 206 रकबा 2 बीघा 6 बिस्वा में अंकित कर मिला दिया गया है।''

——वादीगण

12— उपखण्ड अधिकारी ने यह मानते हुए कि हाल खसरा नम्बर 207 प्रस्तुत मिलान क्षेत्रफल से साबिक खसरा नम्बर 126 मिन ,127 मिन से बनना जाहिर होताहै लेकन पुराने

मिलान क्षेत्रफल पेश नही करने से खसरा नम्बर 207, 196 व 197 से बनना जाहिर नही होता। खसरा नमब्र 206 ,197/1 मिनसे बनना बताया गया है जिसमें गत भूपाम के खातेदार देवा गुर्जर दर्ज है। यह अंकित करते हुए यह तनकी भी परीक्षण न्यायालय ने वादी के विरुद्ध तय की है लेकिन विद्वान प्रथम अपीलीय न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन कर यह माना है कि हाल खसरा नम्बर 206 रकबा 2बीघा 6 बिस्वा को गत भूमाप के खसरा नम्बर 126 रकबा 1बीघा 5 बिस्वा व 197 /1 रकबा 1 बीघा 10बिस्वा को शामिल कर हाल खसरा नम्बर 206 रकबा 2बीघा 6 बिस्वा बना है जबकि रेस्पोडेंट के अन्य खाते के खसरा नंबर 207 कुल रकबा 7 बिस्वा को साबिक खसरा नंबर 126 व 127 से बनाया गया है जबकि खसरा नंबर 126 व 127 की खातेदारी रेस्पोडेंट की थी। इस खसरा पत्रक के अनुसार यह स्पष्ट होता है कि हाल खसरा नंबर 206 रकबा 2 बीघा 6 बिस्वा जो बनाया गया है उमसें साबिक खसरा नंबर 197/1 मिन का रकबा भी मिला दिया गया है जैसा कि खसरा पत्रक के कोलम नंबर 2 व 8 से भली भॉति साबित होता है। इस सन्दर्भ में हमारे सम्मुख रेस्पेसडेंट प्रतिवादी का यह तर्क था कि उनके साबिक खसरा नंबर 126 को कुल रकबा 2 बीघा 15 बिस्वा था जबकि अपीलांट इसे 1 बीघा 5 बिस्वा बता कर आया है जिसका कोई आधार नही है। रेस्पोडेंटं द्वारा प्रस्तुत पर्चा खातौनी की नकल जो रिबटल में प्रस्तुत की गयी है उसमें खसरा नंबर 126 का कुल रकबा 2 बीघा 15 बिस्वा बखूबी साबित होता है जबकि 126 के जो नये खसरा नंबर बने है वह खसरा नंबर 206 व 207 का भाग है। रेस्पोडेंट के हाल खातेदारी के खसरा नंबर 207 व 208 साबिक खसरा नंबर 127 मिन से बने है लेकिन रेस्पोडटें की खातेदारी के अन्य खसरा नंबर 125 व 129 आदि थे । अतः रेस्पोडेंट के कुल व हाल साबिक खसरा नंबरों को देखना अति आवश्यक है। इस सन्दर्भ में अपीलांट ने इस न्यायालय में रेस्पोडेंट के साबिक व हाल खसरा नंबरों की नकले पेश की है। जबकि प्रतिवादीगण ने जो अपनी खातेदारी के सन्दर्भ में गत भू प्रबन्ध का पर्चा पेश किया है उसमें उसकी खातेदारी में देवा तुलछा पिता जालम गूर्जर नाम कुल किता 7 रकबा 7बीघा 17 बिस्वा भूमि अंकित है। लेकिन संव 2025 से 28 की जमाबन्दी व पर्चा खतौनी के अनुसार रेस्पोडेंट के द्वारा कालान्तर में खसरा नंबर 127 रकबा 3 बिस्वा, 184 रकबा 5 बिस्वा,123 रकबा 10बिस्वा,108 रकबा 18 बिस्वा,113 रकबा 1 बीघा 4 बिस्वा तथा 114 रकबा 2 बिस्वा भूमि बाद में अर्जित की है। अतः गत भू प्रबन्ध के पूर्व की जमाबन्दी अनुसार रेस्पोडेंट के खाते में 7 खसरा नंबरों की भूमि बढ कर 13 खसरा नंबरों की भूमि हो गयी थी और रकबा 7 बीघा 17 बिस्वा से बढ कर 10बीघा 19बिस्वा हो गयी थी जबकि गत सैटलमेंट के बाद जो खाता रेस्पोडेंट के नाम आया है, उमसें कुल किता 15 रकबा 16 बीघा 2 बिस्वा भूमि आई है। इससे स्पष्ट होता है कि रेस्पेडेंट के कुल खाते में नई जरीब से जो भूमि लगभग 14 बीघा के आस पास आनी चाहिए थी वह बढ कर 16 बीघा 2 बिस्वा की खातेदारी आई है। इससे स्पष्ट है कि रेस्पोडेंट के खाते में गत भू माप में नई जरीब अनुसार जो रकबा बनना चाहिए था उससे भी अधिक भूमि आई है। दूसरी ओर खसरा पत्रक से भी साबिक आराजी खसरा नंबर 197/1 जो अपीलांट की खातेदारी की थी उसमें 1 बीघा 10 बिस्वा भूमि रेस्पोडेंट के हाल खसरा नंबर 206 में मिलना प्रतीत होता है, इसके अतिरिक्त हमने हाल व साबिक खसरा नंबरों को भी देखा। उक्त खसरा नंबरों को देखने से यह भली भॉति स्पष्ट होता है कि साबिक नक्शे में खसरा नंबर 197 की उत्तरी दिशा की सीमा त्रिपटा के पास से प्रारंभ होती है,जबकि हाल नक्शे में 271 की उत्तरी सीमा उक्त त्रिपठा के निशान से काफी नीचे कर दी गई है तथा खसरा नमबर

206 में कुछ भाग अंकित कर दिया गया प्रतीत होता है। इस तरह साबिक व हाल नंबरों के मिलान से तथा भू प्रबन्ध के खसरा नंबर जिसमें हाल व साबिक नंबरों का तुलनात्मक विवरण होता है एवं रेस्पोडेंट की हाल व साबिक जमाबन्दी में उसके खाते में दर्ज कुल रकबे में अधिक रकबे की खातेदारी आने के आधार पर यह स्पष्ट होता है कि अपीलांट की 1 बीघा 10 बिस्वा भूमि प्रततवादी की हाल आराजी नंबर 206 में मिला दी गई है। विद्वान प्रथम अपीलीय न्यायालय ने यह वाद बिन्दु 4 बखूबी रुप से अपीलांट /वादी के पक्ष में तय किया गया है। विद्वान प्रथम अपीलीय न्यायालय ने अपने निर्णय मे विस्तृत विवेचन कर फाइण्डिग दी है,जबकि विद्वान परीक्षण न्यायालय ने उक्त तनकी पर विस्तृत विवेचन नही किया गया है। यह न्यायालय विद्वान प्रथम अपीलीय न्यायालय के तर्को से पूर्ण रुप से सहमत है।

तनकी नम्बर 8–''आया वादीगण 1 बीघा 10 बिस्वा भूमि पर से प्रतिवादीगण के स्थान पर खातेदारी घोषणा के अधिकारी है।''––वादीगण

तनकी नम्बर 9–अनुतोषः–

13– उक्त दोनो तनकियों के बारे में विद्वान परीक्षण न्यायालय ने यह अंकित किया है कि वादी मुतनाजा आराजी खसरा नंबर 206 व 207 पर अपने खातेदारी हक साबित करने में असफल रहे है, इसलिए उनका वाद साक्ष्यों से प्रमाणित नही होनेके कारण दावा खारिज कर दिया है। लेकिन विद्वान प्रथम अपीलीय न्यायालय ने उक्त तनकियों का निर्णय करते समय यह अंकित किया है कि पूर्व में तनकी संख्या 1 से 4 के विवेचन से यह स्पष्ट हो चुका है कि वादीगण के खाते में उसके साबिक व हाल के तुलनात्मक मिलान क्षेत्रफल में 1 बीघा 10बिस्वा भूमि कम आई है। यद्यपि वादी अपीलांट के खाते में भी खसरा नंबरों की भूमियॉ भी अंकित है, लेकिन इसमें से हाल खसरा नंबर 269, 270 व 271 से लगती हुई कोई अन्य भूमि अपीलांट की खातेदारी की नही है। अतः यह तनकी भी वादी /रेस्पोडेट के पक्ष में तय की है।

14– इसके अलावा विद्वान प्रथम अपीलीय न्यायालय ने अपने निर्णय में यह भी फाण्डिंग दी है कि ''चूॅकि उपरोक्त विवेचन के अनुसार यह स्पष्ट हो चुका है कि रेस्पोडेंट के खाते में सैटलमेंट के पूर्व में दर्ज भूमि की तुलना में वर्तमान में अधिक रकबे की खातेदारी दर्ज हुई है जबकि अपीलांट के खाते में विवादित भूमि कम दर्ज हुई है, यह तथ्य खसरा पत्रक सं0 2022 साबिक व हाल खाते की नकलों से तथा हाल व साबिक नक्शा ट्रेस से भी साबित होती है। ऐसी स्थिति में वादी के वाद में अंकित तथ्य सही प्रतीत होते है। अधीनस्थ परीक्षण न्यायालय में चूॅकि सभी दस्तावेज पेश नही हुए है। ऐसी स्थिति में इन दस्तावेजों के अभाव में अधीनस्थ परीक्षण न्यायालय नेजो विवेचन किया है वह सही नही है। यद्यपि अधीनस्थ परीक्षण न्यायालय मे वादी द्वारा कुछ दतावेज पेश किये गये है, लेकिन अधीनस्थ परीक्षण न्यायालय ने उनका भली भॉति अध्ययन नही किया है। अब हमारे सम्मूख प्रस्तुत दतावेजों से स्थिति स्पष्ट हो जाती है कि वादी अपीलांट की 1 बीघा 10 बिस्वा भूमि की खातेदारी कम दर्ज हुई ,जो रेस्पोडेंट/प्रतिवादीगण /के खसरा नंबर 206 में दर्ज कर दी गयी है।'' उक्त विवेचन से हम भी पूर्णतः सहमत है।

15– जहॉ तक विद्वान अपीलांट ने अपनी बहस व अपील मीमों जो आक्षेप उठाये गये है, उनसे यह न्यायालय सहमत नही है क्यो कि मिलान क्षेत्रफल के आधार पर विद्वान प्रथम अपीलीय न्यायालय ने जो विस्तुत विवेचन कर अपना निर्णय पारित किया है वह

संदेह से परे है। जहॉ तक दावे में वादी द्वारा सरकार को पक्षकार बनाये जाने का प्रश्न है ,इस सम्बन्ध में वादी द्वारा सरकार के विरुद्ध कोई अनुतोष नही चाहा गया है , जिससे दावे में सरकार को पक्षकार नही बना कर कोई कानूनी त्रुटि नही की है। परिणामस्वरुप यह निगरानी सारहीन होने से खारिज किये जाने योग्य है।

16— अतः उपरोक्त विवेचन के प्रकाश में यह द्वितीय अपील सारहीन होने से खारिज की जाती है। भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 30—12—2003 की पुष्टि की जाती है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मनोज कुमार नाग)
सदस्य

(प्रवीण गुप्ता)
सदस्य

उक्त तनकी में विद्वान परीक्षण न्यायालय नेअपनेनिर्णय में यह माना है कि हाल खसरा नम्बर 206 व207 वादीकी खातेदारी की आरजी से बनना जाहिर नही होताहै,यह मानकर वादीके विरुद्ध उक्ततनकी निग्रित की है। इस सम्बन्धमें विद्वान प्रथम अपीलीय न्यायालय ने पूर्व तनकी संख्या 4 में यह विस्मृत विवेचनके साथ स्पष्ट करदियाकि रेस्पेडेंटके खातेदारीमें पूर्णरकबे में उसके खाते से अधिक भूमि दर्ज हुई है। अतः यह सहीमाना है कि की अपीलांट की 1बीघा 10बिस्वाभूतम रेस्पेडेंटके हाल खसरा नम्बर206 में शामिल कर प्रतिवादीको अधिक खातेदारी दे दी गयी है। अतः यह तनकी उनकेद्वारावादी / अपीलुंटकेपक्षमें निर्णित की है। यहन्यायालय भी विद्वान प्रथम अपीलीय न्यायालय के विवेचन से सहमत है।

तनकी नम्बर 6–''आया प्रतिवादीगण की वर्तमान में कितने रकबे पर मौके पर कब्जा है।''

–– वादीगण

विद्वान परीक्षण न्यायालय ने यह मान कर कि वादी व प्रतिवादउीगणदोनोके गवाहानके मौकपरअपनाअपना कब्जाहोना बतायाहै , मानकर उक्त तनकी वादी के विरुद्ध तयकी है इसके विपरीत वादीके गवाहों / बयानों से उसका कब्जा उसकी खातेदारी की सीमा पर थूर की बाड बनाकर कब्जा माना और यह स्पष्ट कियाकि दोनो पक्षकार अपने अपने हिस्सेके अनुसार काबिज है। लेकिन राजस्वरिकार्ड में अपीलांट की 1 बीघा 10बिस्वाभूमि कम करके प्रतिवादीगणके नाम खातेदारी दर्ज करदीगयी।इस आधारपरविद्वान प्रथम अपीलीय यन्यायालय द्वज्ञरा वादबिन्दु वादी के पक्षमें तय कियागयाहै।उक्त विवेचन से यह न्यायालय भी पूर्ण रुप से सहमत है।

तनकी नम्बर 7–''आया प्रतिवादीगण का वर्तमान में कितने रकबे पर मौके पर कब्जा है।''

–– प्रतिवादीगण

उक्त तनकी पर विद्वान परीक्षणन्यायालय ने अपना मत किसी भी प्रकार से प्रकट नही किया है जबकि विद्वान प्रथम अपीलीय न्यायालय ने अपने निर्णयमें यह मानाहैकि अधीनस्थ परीक्षण न्यायालय में प्रतिवादी ने खुद के अलावा किसभी स्वतन्त्र गवाह के बयाननही करवाये है जिससे प्रतिवादी उक्त तनकी को साबित करानेमें असफल रहाहै। जिससे यह तनकी भी विरुद्ध प्रतिवादीगणतयकी है जो हमारे मत के अनुसार भी उचित है।